


01-05-25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी या वादी  
संघ उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर  
भी उपस्थित नहीं हुए। अतः वादी का वादपत्र  
अदम पैरवी - अदम टाफिरी में इसी स्तर पर  
खाटिज किया जाता है। पत्रावली बाइ तरतीब  
तकनील होकर दाखिल दफतर है।

निर्णय लिखाया जाकर बुले-मापालप  
में सुनाया गया।

  
(किरण पाल)  
RAS